न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद,न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट केम्प देवली

मि0न0 : 61 / 2015

बाबूलाल पुत्र लक्खादास जाति बैरागी निवासी ग्राम आमली तहसील कनवास

– वादी

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा (राज0)

– प्रतिवादी

वाद अ0धा0 88,89 आर टी एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक 17/5/16

वादी द्वारा एक वाद अ0धा0 88,89, आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम आमली पटवार हल्का खजूरी तहसील कनवास की खाता सं. नईइ 185 की ख.न. 194 की रकबा 0.33 है तथा माल ग्राम खजूरणा की खाता सं. नई 106 की ख.न. 5 की रकबा 1.16 है0 आराजी स्थित है।

उक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में सहवन सें रामपाल पुत्र लक्खादास जाति बैरागी निवासी आमली दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम बाबूलाल पुत्र लक्खादास है। वादी का पहचान पत्र,आधार कार्ड,राशनकार्ड,तथा अन्य दस्तावेजात में सही नाम बाबूलाल पुत्र लक्खादास है किन्तु राजस्व रेकार्ड में गलत नाम रामपाल पुत्र लक्खादास दर्ज होन ऋण लेने व अन्य विकास कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम आमली की खाता सं. नई 185 की ख.न. 194 की 0.33 है0 तथा माल ग्राम खजूरणा की खाता सं. नई 106 की ख.न. 5 की 1.16 है. आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम सही नाम बाबूलाल पुत्र लक्खादास दर्ज किये जाने की डिकी पारित किये जाने का सादिर आदेश प्रदान करे।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

कार्यालय उप जिला कलेक्टर ... जिला कोटा

वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर । प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामपाल दर्ज है वादी द्वारा अपने नाम के सभी साक्ष्य बाबूलाल आ0 लक्खादास के नाम के पेश किये है। वादी को यह भूमि अपने पिता की मृत्यपरान्त व अपने भाई की मृत्यु व दूसरे भाई द्वारा रिलीज करने पर प्राप्त हुई है। राजस्व रेकार्ड में यदि वादी का नाम रामपाल आ0 लक्खादास के स्थान पर बाबूलाल आ0 लक्खादास कर लिया जावे तो राजहित प्रभावित नही है कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट केम्प देवली मे पेश हुई। प्रकरण में प्रस्तुत रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2068—71 ग्राम आमली व जमाबंदी सम्वत् 2069—2072 ग्राम खजूरणा में वादी का नाम रामपाल पि0 लक्खादास कौम बैरागी सा0आमली रहन यूबीआई दरा दर्ज रेकार्ड है।

वादी द्वारा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड ,राशनकार्ड इत्यादि की प्रतिया प्रस्तुत कि है जिनमें वादी का नाम बाबूलाल आ0 लक्खादास नाम अंकित है । वाद पत्र मे प्रस्तुत रेकार्ड /दस्तावेजात व जवाब सरकार का अवलोकन किया । जवाब सरकार में भी वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरस्त किये जाने में राजहित प्रभावित नही होना व कोई आपत्ति नही होना अंकित किया है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम आमली की खाता सं. नई 185 की ख.न. 194 की 0.33 है0 तथा माल ग्राम खजूरणा की खाता सं. नई 106 की ख.न. 5 की 1.16 है. आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बाबूलाल पुत्र लक्खादास दर्ज किये जाने कें आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार डिकी मुर्तिब की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

1. बाबूलाल पुत्र लक्खादास जाति बैरागी निवासी ग्राम आमली तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा इन्द्राज दुरुस्ती 88,89 आर टी एक्ट

निर्णय

मुकदमा न. 61/15 सन 2015 तारीख फैसला 17.05.2016 न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वंय मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नं. 1 पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है **कि ग्राम आमली की खाता संख्या नई 185 की खसरा नंबर 194 की रकबा 0.33 है0, तथा माल ग्राम खजूरना की खाता संख्या नई 106 की खसरा नंबर 05 की रकबा 1.16 है0, आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामपाल पुत्र लक्खादास के स्थान पर सही नाम बाबूलाल पुत्र लक्क्षादास दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में आमल दरामद किया जावे । तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/08/2016 माह अगस्त 2016 को जारी की गई। गई।

मोहर ....

(श्री कैलाश चंद गुर्जर)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज०)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---NIL---		स्टाम्प वकालतनामा	---NIL---	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(श्री कैलाश चंद गुर्जर)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज०)